भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1865
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली

1865. श्री शफी परम्बिल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लाभार्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण और जटिल ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली के विरुद्ध विरोध किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली से संबंधित गुणवत्ता और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो दोषपूर्ण उपस्थिति प्रणाली को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 1 जनवरी 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो-टाइम स्टैम्प वाली, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है, तो उपस्थिति को

ऑफ़लाइन मोड में कैप्चर किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क क्षेत्र में आने पर अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में, जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है, छूट प्रदान करने का प्रावधान भी मौजूद है जिसे ब्लॉक प्रशासन के स्तर पर आगे विकेंद्रीकृत किया गया है।

एनएमएमएस ऐप को और अधिक सुदृढ़ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए, एनएमएमएस एप्लिकेशन के मौजूदा संस्करण में आई ब्लिंक सुविधा, हेड काउंट सुविधा, मस्टर रोल के साथ मेट आईडी मैपिंग और सामुदायिक कार्यों (अनुमेय) की निकटता सीमा में छूट आदि प्रावधानों जैसे नए संवर्द्धन किए गए हैं। ये पहल एनएमएमएस ऐप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने में मदद करती हैं।

इसके अलावा, जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो मंत्रालय एनएमएमएस ऐप के उपयोग को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष आने वाले तकनीकी मुद्दों को वास्तविक समय के आधार पर मंत्रालय के समक्ष उठाया जाता है, जो समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने का प्रयास करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए नए सुझावों को उनकी व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के बाद शामिल किया जा रहा है।

एनएमएमएस एप्लीकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनएमएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति पहले पखवाड़े में 95.21% और दूसरे पखवाड़े में अब तक 96.37% है। एनएमएमएस उपस्थिति डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और समग्र प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देता है।

चूंकि एनएमएमएस एप्लीकेशन उसी दिन एफटीओ तैयार करने में सक्षम है, इससे मजदूरी का समय पर भुगतान करने में भी काफी मदद मिली है।